Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में तीन तलाक की स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. अमित कुमार सिंह[1], डॉ. रवीश कुमार सिंह[2], डॉ. दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव[3]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** राजकीय महाविद्यालय महादेवा, उमरिया, बस्ती।
3. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय सैदपुर, गाजीपुर।

(**Corresponding Author:** amitkumarsingh472@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21787965

सारांश

यह शोध पत्र भारत में 'तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्दत)' की प्रथा का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। अध्ययन में तीन तलाक की ऐतिहासिकता, सामाजिक असर, जेंडर से जुड़े नजरिए और कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई है। सामाजिक परिवर्तन की गति देश, काल और परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होती रही है। संस्कृति एक गतिशील तथ्य है और वर्तमान में इस्लामी संस्कृति भी परंपरा से आधुनिकता अर्थात संक्रमणकाल से गुजर रही है। इस्लामी संस्कृति में संरचनात्मक परिवर्तन, रूपांतरण और आधुनिकता के प्रसार के परिणामस्वरूप कहीं न कहीं दबाव भी अनुभव किये जा रहे हैं। इस शोध पत्र में इस्लामी संस्कृति में महिलाओं के जीवन, परिवार के रिश्तों और व्यापक सामाजिक–आर्थिक नतीजों की चर्चा की गई है। साथ ही जेंडर से जुड़े नजरिए की भी जांच की गई है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों, इस्लामिक पारिवारिक कानून के भीतर वर्तमान में चल रही नारीवादी चर्चाओं और इंटरसेक्शनैलिटी (अलग–अलग सामाजिक पहचानों के आपसी असर) पर जोर दिया गया है। भारत में मुस्लिम महिलाओं में अभी भी शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी है क्योंकि लड़कियों को केवल साक्षर बनाने तथा प्राथमिक और उच्च शिक्षा तक ही यह समाज सचेत दिखाई पड़ता है। इस्लाम की कुछ रूढ़िगत धारणाएं शिक्षा के साथ ही आर्थिक प्रगति, रोजगार तथा राजनीति में सामान्यतः महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करती। पर्दा प्रथा, कम उम्र में विवाह, तीन तलाक आदि कुप्रथाओं के कारण मुस्लिम महिलाओं का शोषण आंतरिक एवं वाह्य दोनों ही स्तरों पर दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर 20 वीं शताब्दी में मुस्लिम महिलाओं के जीवन में अनेक परिवर्तन देखने को भी मिलने लगे हैं। आधुनिक समय में मुस्लिम महिलाएं शरीयत के अनुसार की शिक्षा या धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा को ग्रहण कर अपनी स्थिति को बदलने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही हैं। परिवार और समाज के स्तर पर धीरे–धीरे मुस्लिम महिलाओं ने अपने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को उन्नत करना प्रारंभ कर दिया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 02 मई, 2026 **स्वीकृत:** 23 मई, 2026 **प्रकाशित:** 30 जून, 2026

सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 15

मुख्य शब्द: इस्लाम, मुस्लिम विवाह, विवाह विच्छेद, तीन तलाक, आधुनिकता, कानून।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : कुरान में स्पष्ट लिखा है कि मानव अधिकारों के आधार पर स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है जन्म के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता, इस्लाम में यह भी बताया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही जीवन की एक ही सीढ़ी पर खड़े हैं। मुस्लिम समाज में विवाह या निकाह आपसी शांति, प्रेम और करुणा पर आधारित है। महिला को विवाह प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। इस्लामिक कानून के मुताबिक महिला को उसकी मर्जी के बिना किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस्लाम में पति परामर्श और दया के ढांचे के भीतर परिवार का रखरखाव करने, सुरक्षा करने और परिवार के नेतृत्व के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। पति और पत्नी की भूमिका की पारस्परिकता और पूरक प्रकृति का अर्थ किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे की अधीनता नहीं है। एक मुस्लिम जनश्रुति के अनुसार विवाह–विच्छेद कानून सम्मत तो है, परन्तु ईश्वर इसे पसन्द नहीं करता। तलाक सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुनः विचार करने और तलाक को नियंत्रित करने के

उद्देश्य से ही 'इद्दत' की अवधि पर इतना जोर दिया गया है। वर्तमान परिवर्तन की प्रवृत्तियों से मुस्लिम समुदाय भी अब अछूता नहीं है। मुस्लिम समुदाय में निकाह के साथ–साथ तलाक के संदर्भ में विगत कुछ वर्षों से कुछ न कुछ बदलाव के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं जिनके परिणामस्वरुप अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इस्लाम धर्म की जटिल रूढ़िवादी और सामान्यतः अपरिवर्तनशील परंपराओं और प्रथाओं के कारण तीन तलाक के मामले वर्तमान में और अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। तीन तलाक की बढ़ती संख्या के कारण पारिवारिक विघटन की समस्या, महिलाओं की वैवाहिक स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट, मानसिक आर्थिक एवं भावनात्मक समस्या के साथ–साथ बच्चों के पालन पोषण एवं जीवन निर्वाह की अनेक समस्याओं में वृद्धि दिखाई पड़ रही है।

1.1. मुस्लिमों में विवाह विच्छेदः मुस्लिम विवाह एक समझौता है न कि धार्मिक संस्कार। इस्लाम में इस समझौते को समाप्त करने की व्यवस्था भी की गई है और विवाह–विच्छेद को न्यायसंगत माना गया है। मुस्लिम समाज में अन्य समाजों की तुलना में विवाह–विच्छेद की प्रक्रिया अत्यन्त सरल है। इस्लामी कानून के तहत विवाह–विच्छेद का अधिकार सामान्यतः पुरुषों को ही दिया गया है। पुरुष बिना अदालत की सहायता के कभी भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। 'खुला' नामक विवाह–विच्छेद में स्त्री मेहर की राशि को लौटा कर विवाह–विच्छेद की माँग तो कर सकती है, परन्तु इसके लिए भी पति का तैयार होना भी आवश्यक है। मुस्लिमों में विवाह विच्छेद के दो रूप प्रचलित हैं: 1. बिना अदालत की सहायता के अर्थात परंपरागत या प्रथागत विवाह विच्छेद 2. अदालत की सहायता से अर्थात कानूनी तरीके से। मुस्लिम समाज में साधारणतः बिना अदालत की सहायता के अर्थात परंपरागत या प्रथागत विवाह विच्छेद होते हैं, तलाक के प्रथागत स्वरूप निम्न हैं:

1.1.1.(अ) तलाक–ए–अहसनः तलाक के इस प्रकार के पति पत्नी के 'तुहर (मासिक धर्म)' के समय एक बार तलाक की घोषणा कर देता है। इसके बाद 'इद्दत' की अवधि में वह पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित नहीं करता और इस अवधि के समाप्त होने पर तलाक हो जाता है। 'इद्दत' तलाक की घोषणा के बाद चार मासिक धर्मों के बीच की अवधि को कहते हैं। यह अवधि प्रायः तीन महीने की होती है।

(ब) तलाक–ए–हसनः तलाक के इस प्रकार में पति को तीन तुहरों के अवसर पर तलाक की घोषणा को दोहराना पड़ता है। इन तीनों तुहरों की अवधि के बीच वह स्त्री के साथ सहवास भी नहीं करता। इस अवधि के बाद तलाक पूर्ण हो जाता है ।

(स) तलाक–उल–बिद्दतः किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर पति, पत्नी या उसके किसी गवाह की अनुपस्थिति में भी तलाक की एक बार स्पष्ट घोषणा कर देता है और तलाक हो जाता है। कभी–कभी एक ही मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े–थोड़े समय के बाद तलाक की तीन बार घोषणा की जाती है और फिर तलाक पूर्ण हो जाता है। तुहर के अवसर पर तलाक की घोषणा का उद्देश्य यही है कि यह ज्ञात हो जाए कि तलाक के समय स्त्री गर्भवती तो नहीं है।

1.1.2. इलाः जब पति कसम खाकर चार महीने या इससे अधिक समय तक पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध नहीं रखने की प्रतिज्ञा करता है, तो इसे 'इला' कहते हैं। इस अवधि के पश्चात् विवाह–विच्छेद हो जाता है। यदि इस काल में वह पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध कर लेता है तो इला टूट जाता है और ऐसी दशा में विवाह–विच्छेद नहीं होता है।

1.1.3. जिहरः जिहर का तात्पर्य है गैर कानूनी तुलना के द्वारा विवाह विच्छेद। यदि पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री सम्बन्धी से करता है, जिसके साथ विवाह सम्बन्ध वर्जित है, तो पत्नी ऐसी तुलना के लिए पति को प्रायश्चित करने को कहती है। पति यदि प्रायश्चित नहीं करता, तो ऐसी दशा में पत्नी अदालत में विवाह–विच्छेद की माँग कर सकती है।

1.1.4. खुलाः यह पारस्परिक सहमति से लिया जाने वाला तलाक है। खुला विवाह–विच्छेद का वह प्रकार है, जिसमें पत्नी पति से विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना करती है और पति के वैवाहिक अधिकारों की समाप्ति के बदले में प्रतिफल के रूप में प्राप्त मेहर को वापस लौटाकर क्षतिपूर्ति का वादा करती है।

1.1.5. मुबारतः यह विवाह–विच्छेद पति–पत्नी की पारस्परिक सहमति के आधार पर होता है। इसमें दोनों ओर से तलाक की इच्छा प्रकट की जाती है। 'खुला' में पत्नी पति को कुछ धन देती है, परन्तु यहाँ उसे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे विवाह विच्छेद के लिए पत्नी को 'इद्दत' करना होता है और पति को इस अवधि में उसे अपने घर ही रखना पड़ता है।

1.1.6. लियानः पति द्वारा पत्नी पर व्यभिचार के आरोप के आधार पर पत्नी तलाक ले सकती है। लियान इसमें पति, पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है। पत्नी इस आरोप का खण्डन करती है और अदालत से प्रार्थना करती है कि या तो पति अपने इस आरोप को वापस ले या खुदा को हाजिर नाजिर समझकर घोषणा करे कि यह आरोप सत्य है।

1.1.7. तलाक–ए–तफवीजः इसमें पति द्वारा पत्नी को विवाह के समय दिए गए अधिकारों के आधार पर पत्नी तलाक लेती है। यह प्रत्यायोजित तलाक का एक रूप है। यह माँग विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए गए अधिकार के आधार पर की जाती है।

2. तलाक–उल–बिद्दत या तीन तलाकः विभिन्न धर्मों और समुदायों में वैध तथा मान्य तलाक की वैधानिक प्रक्रिया तथा परम्परागत प्रथाओं का अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा सबसे अधिक महिला–विरोधी प्रथा है। तीन तलाक का यह अन्यायपूर्ण तरीका महिला हितों के प्रतिकूल है, जिसमें तलाक शब्द को एक ही समय में तीन बार उच्चारित करने पर विवाह–विच्छेद हो जाता है और पत्नी को तुरंत पति का घर छोड़ना पड़ता है। 'शायरा बानो बनाम भारत संघ' मामले पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 में एक अहम फैसले में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके 'तीन तलाक' की प्रथा को चुनौती दी थी क्योंकि उनके पति ने इसी तरीके से उन्हें तलाक दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि तीन तलाक भारतीय संविधान के तहत मिले उनके मौलिक अधिकारों तथा समानता और भेदभाव न होने के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह भारतीय संविधान में निहित लैंगिक समानता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इस फैसले के बाद भारत सरकार द्वारा 30 जुलाई 2019 को 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019' लागू किया गया, जिसके तहत 1 अगस्त 2019 से भारत में तीन तलाक की प्रथा को अपराध बना दिया गया।

3. तीन तलाक की संवैधानिकताः भारत में तीन तलाक की संवैधानिकता कानूनी बहसों और ऐतिहासिक फैसलों का विषय रही है। इस प्रथा से जुड़ी चर्चाओं में कई संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया जाता है, जो समानता, भेदभाव न करने और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित चिंताओं की व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–14 में कानून के समक्ष समानता के आधार पर यह तर्क दिया जाता रहा कि तीन तलाक की प्रथा मूल रूप से भेदभावपूर्ण है, खासकर महिलाओं के खिलाफ, क्योंकि यह पति को एकतरफा और तुरंत शादी खत्म करने की अनुमति देती है। तीन तलाक प्रथा को कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि यह तलाक के संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं को अलग–अलग अधिकार और शक्तियां देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद–15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, इस अनुच्छेद के आधार पर यह तर्क दिया जाता रहा कि तीन तलाक अपनी प्रकृति से ही महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता है, खासकर तब जब महिलाओं के पास शादी खत्म करने का ऐसा ही एकतरफा अधिकार नहीं होता। जबकि संविधान के अनुच्छेद–21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार, के आधार पर यह तर्क दिया जाता रहा कि तीन तलाक की प्रथा में खासकर जब इसे अचानक बोला जाता है, यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, विशेष रूप से गरिमा और स्वायत्तता के साथ जीने के अधिकार का। तीन तलाक के माध्यम से शादी का अचानक खत्म होना महिलाओं के लिए गंभीर भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम पैदा करता है। जिससे उनके जीवन और गरिमा के अधिकार पर बुरा असर पड़ता है। वहीं अनुच्छेद–25 में सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतन्त्रता और धर्म को स्वतत्र रूप से मानने, उसका आचरण करने तथा प्रचार करने के मौलिक अधिकार, के आधार पर यह तर्क दिया जाता रहा कि तीन तलाक जैसी धार्मिक प्रथाएं लैंगिक समानता और मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के साथ टकराव में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक और संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला करार दिया। कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक को कानूनी मान्यता नहीं है और इसे इस्लामी कानून का जरूरी हिस्सा नहीं माना जा सकता। इस फैसले ने लैंगिक समानता के सिद्धांत को पुनः स्थापित किया और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की।

4. तलाक में वृद्धि के कारणः इस्लाम में विवाह के एक सामाजिक समझौते के कारण पुरुष द्वारा कभी भी अपनी पत्नी को मौखिक रूप से भी तलाक देने का प्रचलन समाज में मान्य रहा। पारिवारिक समस्या के रूप में विवाह विच्छेद की समस्या अनेक कारकों से प्रभावित दिखाई पड़ती है। एक समय में कोर्ट के द्वारा तलाक, न्यायिक पृथक्करण और गुजारा भत्ता जैसी प्रवृतियाँ नगरीय समाज में उच्च वर्ग और तथाकथित आधुनिक लोगों तक ही सीमित रही, पर आज यह संदर्श पूरी तरह बदल चुका है क्योंकि पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण से तलाक एक सामान्य व्यवहार की तरह मध्यम वर्ग, छोटे शहरों तथा कस्बों में भी दिखाई पड़ने लगा है। एक ओर जहां आधुनिक होती युवा पीढ़ी की बदलती मानसिकता ने धर्म और परिवार की पुरानी प्रथाओं और परंपरागत मान्यताओं को रूढ़िगत मानते हुए दरकिनार कर दिया है, वहीं विवाह या जीवनसाथी के चुनाव को अपना व्यक्तिगत अधिकार मानना प्रारंभ कर दिया है। अब यह अवधारणा बल पकड़ने लगी कि दांपत्य जीवन में बढ़ रहे तनाव, घुटन और असामंजस्य के जीवन से निकल कर नए जीवन–साथी का चुनाव कर लिया जाए या भविष्य में वैवाहिक बंधन से स्वतंत्र रहकर अकेले ही जीवन व्यतीत किया जाए। इसी मानसिकता ने वर्तमान में विवाह विच्छेद या तलाक की दर में तीव्र वृद्धि की है। भारतीय समाज में तलाक की बढ़ती हुई दर पर एकमतता इस बात पर दिखाई पड़ती है कि परिवार को संगठित बनाए रखने वाले परंपरागत मूल्यों में होने वाला परिवर्तन तलाक की वर्तमान मूल समस्या का प्रमुख कारण

है। युवा पीढ़ी आधुनिकता के दौर में स्वभाव से ही स्वतंत्र है और कानूनी माहौल से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उसके नजरिए में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। नगरों के साथ ही अब ग्रामीण समुदाय में भी विवाहित मुस्लिम महिलाएं घरेलू हिंसा और पारिवारिक दबाव का खुलकर विरोध करने लगी हैं। शिक्षित और कामकाजी वर्ग के पुरुष तथा महिलाओं में सबसे अधिक तलाक के मामले इस दशा का परिणाम है जिनमें विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात यौन संबंध पारस्परिक असंतुष्टि का कारण बनते हैं। कुछ सर्वेक्षणों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में तलाक की सबसे अधिक दर बड़े महानगरों तथा मेट्रो शहरों में है। सह शिक्षा और रोजगार से संबंधित यात्रा के दौरान भी पुरुष और महिला के पारस्परिक आकर्षण से युवा पीढ़ी द्वारा परिवार की सहमति के बिना भी प्रेम विवाह होने लगे हैं। विषम स्थिति तब पैदा होती है जब विवाह से पहले प्रेम के क्षणों में किया जाने वाला समर्पण विवाह उपरांत पैदा होने वाली समस्याओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं के आगे घुटने टेक देता है। जिसका परिणाम अंततः तलाक के रूप में दिखाई पड़ता है। तलाक का एक मुख्य कारण परिवार के नियंत्रण में तेजी से गिरावट आना भी है जहां एकाकी परिवारों में स्वयं माता–पिता के पास अपनी संतानों के लिए अब समय नहीं है वहीं मध्यम दर्जे के नगरों में स्वयं युवा पीढ़ी अपने परिवार में हस्तक्षेप को अनावश्यक मानने लगी है।

पत्नी और पति के बीच विवाद और तनाव की स्थिति में नगरों में स्थापित वैवाहिक सलाह केंद्र अथवा महिला उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बनाए गए विशेष केन्द्रों की शरण लिया जाता है और परिवार के बुजुर्ग लोगों का कोई हस्तक्षेप स्वीकार न होने से सुलह की जगह तलाक की संभावना और भी बढ़ जाती है। आधुनिकता और भौतिकतावादी समाज के नए संदर्भ में नए तकनीकी उपकरणों की सहायता से महिलाओं ने घरेलू कार्य अब बहुत सरल और कम समय में होने लग गए हैं, जिससे बचे समय का वह स्वतंत्र रूप से आजीविका उपार्जित करने से आर्थिक सशक्तिकरण का भाव उत्पन्न हो गया है और वह अपने पारिवारिक दांपत्य जीवन में असफलता और घरेलू हिंसा का विरोध करने लगी है और अपनी स्वतंत्र पहचान के प्रति जागरूक हो गई है जिससे तलाक की नई स्थितियां पैदा होने लगी हैं। अनेक सर्वे में अब यह भी माना जाने लगा है कि पत्नी के माता–पिता का अवांछित हस्तक्षेप भी तलाक की एक बढ़ती हुई समस्या का मुख्य कारण है। पति पत्नी के छोटे से विवाद में यदि उनके माता–पिता हस्तक्षेप करते हैं तो सामान्यतः अधिकांश मामलों में मामूली गलतफहमी से आरंभ होकर बात तलाक तक पहुंच जाती है। मुस्लिम समुदाय में इन कारणों के अतिरिक्त अनेक दूसरी दशाएं भी तलाक की बढ़ती हुई दर के लिए उत्तरदायी हैं।

5. चुनौतियां: अनेक रूढ़िवादी समूहों और धार्मिक नेताओं द्वारा कोर्ट के दखल का विरोध किया और यह तर्क दिया कि यह कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ और धार्मिक प्रथाओं में दखलंदाजी है और धार्मिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर फैसले के संभावित असर को लेकर भी चिंताएँ जताई गईं। विधायी हस्तक्षेप के बावजूद तीन तलाक को अपराध बनाने को लेकर बहस जारी है। मुख्य बहसों में से एक तीन तलाक को अपराध बनाने की संवैधानिक वैधता के इर्द–गिर्द घूमती है कि तलाक जैसे नागरिक मामले को अपराध बनाना पर्सनल लॉ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि इस कदम से धार्मिक मामलों में राज्य का दखल बढ़ जाएगा जिससे धार्मिक समुदायों की स्वायत्तता कम हो सकती है। तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने की व्यावहारिक प्रभावशीलता को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं।

तर्क यह दिया जाता है कि आपराधिक सजा लागू करने से शायद यह प्रथा प्रभावी ढंग से न रुके और इसके बजाय यह गुप्त रूप से भी जारी रह सकती है, जिससे आगे आने वाले समय में इसे सुलझाना और मुश्किल हो जाए। ये वर्ग मुस्लिम समुदायों में लैंगिक भेदभाव की जड़ तक जाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सुधारों के महत्व पर जोर देता हैं। वहीं दूसरी ओर तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में मानने वाले समर्थकों का तर्क है कि इससे उन मुस्लिम महिलाओं को जरूरी सुरक्षा मिलती है जो इसके जरिए मनमाने ढंग से तलाक और परित्याग का शिकार होती हैं। उनका कहना है कि इस प्रथा को अपराध घोषित करने से लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाता है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी रास्ता मिलता है। हालाँकि तर्क यह भी दिया जाता है कि केवल इसे अपराध घोषित करने से उन व्यापक सामाजिक–आर्थिक कारकों का समाधान नहीं हो सकता जो मुस्लिम समुदायों में महिलाओं की कमजोर स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तर्क यह भी दिया जाता है कि कानूनी सुधारों के साथ–साथ धार्मिक विद्वानों और समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करके चिंताओं को दूर करने और समझ बढ़ाने के प्रयास भी करने चाहिए। एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देना है जो कानूनी सिद्धांतों और धार्मिक भावनाओं दोनों का ही सम्मान करे।

तीन तलाक की बहस में ऐतिहासिक, कानूनी, संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलू सभी शामिल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक हस्तक्षेप और विधायी सुधार दोनों ही हुए। कानूनी दखल और विधायी सुधार द्वारा धार्मिक रीति–रिवाजों का सम्मान करने और मौलिक अधिकारों खासकर लिंग समानता और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित किया है, पर वर्तमान में हो रही बहसें इस बात पर जोर देती हैं कि एक विविध, जटिल

और अनेकता वाले समाज में व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में शामिल जटिलताओं पर भी ध्यान देने की महती आवश्यकता है। भारत में तीन तलाक पर न्यायिक और विधायी रोक, संवैधानिक ढांचे के भीतर कानूनी सुधारों, धार्मिक रीति–रिवाजों और लिंग न्याय से जुड़ी व्यापक चुनौतियों और उनसे निपटने के उपाय भी सुझाता है, पर जैसे–जैसे देश में इन जटिल और व्यापक मुद्दों से निपटा जा रहा है, यह जरूरी हो जाता है कि सभी वर्ग को शामिल कर बातचीत को बढ़ावा, जागरूकता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच व्यापक संतुलन साधे जाएँ, जिससे एक ऐसा समावेशी समाज बन सके जो अपने राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए समानता, गरिमापूर्ण जीवन और उनके लिए न्याय प्रदान कर सके।

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि पिछले वर्षों में मुस्लिम महिलाओं पर अनेक अध्ययन हुए हैं जो उनके प्रभावशाली आयाम, उनके हकों के साथ–साथ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रभाव, तलाक, बहु विवाह और इन प्रथाओं में सुधार लाने पर केंद्रित दिखाई पड़ते हैं। इन अध्ययनों में मुस्लिम महिलाओं के हक, व्यक्तिगत कानून, पहचान और लिंग के साथ–साथ जेंडर के सवाल को भी विशेष रूप से सतह पर और समाज के सम्मुख लाया गया है। भारतीय मुस्लिम महिलाओं पर मौजूद साहित्य में मुख्यतः तीन अवधारणा देखने को मिलती हैं पहली में अधिकांशतया मुस्लिम महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, दूसरी में मुस्लिम महिलाओं को व्यक्तिगत कानून के संकुचित दायरे में रखकर देखा गया। यह विचार शरीयत और उनके प्रति पूर्वाग्रह से लिए गए कानून व धार्मिक परंपराओं को शामिल करते थे, जिसमें महिलाओं के स्थान को दोयम दर्जा दिया गया और मुस्लिम समाज भी पुरुषवादी या पितृसत्तात्मक समाज दिखाई पड़ता है। तीसरी अवधारणा यह है कि सभी महिलाओं की समस्याएं एक बराबर नहीं होती है इसलिए विकास के फायदे सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाए और मुस्लिम महिलाओं के पहचान के सवाल भी अलग–अलग दिखाई पड़ते है।

आजादी के सात दशकों के पश्चात भी भारतीय मुस्लिम महिलाएं शिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन और राजनीतिक रूप से हाशिये पर खड़ी दिखाई पड़ती है। सच्चर कमीशन (2007) की रिपोर्ट में इसको खास तौर पर उजागर किया है। कानूनी सुधार पर बहस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ उनके अधिकारों और इस्लाम से जुड़ी बहसों में भागीदारी की आवश्यकता है। जिससे मुस्लिम महिलाएं अपने हक को पुनर्स्थापित कर सके, साथ ही मुस्लिम महिलाएं देश के धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील समूहों के साथ अपनी सामान्य और भागीदारी युक्त अवसरों को हासिल करने के लिए एक मंच प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। वर्तमान में अधिकांशतया मुस्लिम महिलाएं शिक्षा तथा रोजगार प्राप्त कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं और अनेक अन्य क्षेत्रों में कार्य भी कर रही हैं। इसलिए मुस्लिम महिलाओं में पारिवारिक, सामाजिक, संस्थागत और संरचनात्मक परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं।

स्रोत एवं संदर्भः

1. गुप्ता, मोतीलाल (2019)। मुस्लिम विवाह एवं परिवार (भारत में समाज)। राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 18 वां संस्करण, जयपुर।
2. सिंह, जे.पी. (2019)। वैवाहिक प्रथा एवं तलाक (आधुनिक भारत का समाज)। रावत पब्लिकेशन, पहला संस्करण, नई दिल्ली।
3. दिनकर, रामधारी सिंह (2018)। इस्लाम धर्म (संस्कृति के चार अध्याय), लोक भारती प्रकाशन, तीसरा संस्करण, नई दिल्ली।
4. जोशी, गोपा (2015)। भारत में स्त्री असमानता। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
5. परमार, शुभ्रा (2015)। परिवार में जेंडर संबंध रू उपभोग के पैटर्न, संपत्ति का अधिकार (नारीवादी सिद्धांत और व्यवहार) ओरियंट ब्लैकस्वान प्रा.लि., पहला संस्करण, हैदराबाद।
6. वोल्सटनक्राफ्ट, मेरी (2014)। स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन। राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
7. सिन्हा, मनोज (2012)। बदलती सामाजिक संरचना (समकालीन भारत एक परिचय)। ओरियंट ब्लैकस्वान प्रा०लि०, हैदराबाद।
8. इंजीनियर, असगर अली (2008)। द राइट्स आफ वीमेन इन इस्लाम। स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा. लि., दिल्ली।
9. दुबे, श्यामाचरण (2008)। परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति। राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. आहूजा, राम (2005)। मुस्लिम एवं ईसाई विवाह (भारतीय सामाजिक व्यवस्था)। रावत पब्लिकेशन, तृतीय संस्करण, नई दिल्ली।
11. इंजीनियर, असगर अली (2003)। इस्लाम वुमेन एंड जेंडर जस्टिस। ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
12. बुवा, सिमोन द (2002)। स्त्री उपेक्षिता। हिन्दी बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
13. अहमद, इम्तियाज (1982)। कास्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर अमोंग द मुस्लिम, नई दिल्ली।
14. Tomar, Ekta (2023). A case study on triple talaq and status of women in India. Shodhkosh: Journal of Visual and Performing Arts, January-June 2023, 4(1), P.1101–1108.
15. Pandey Swasti. Umair, Reshma (2024). Triple talaq in India: A comprehensive analysis of legal, social, and gender perspectives. IJCRT, Vol 12, Issue 4 April 2024, P.i966- i977.

आलेख उद्धरित करें :	सिंह, अमित कुमार, सिंह, रवीश कुमार एवं श्रीवास्तव, दुर्गेश कुमार (2026)। भारत में तीन तलाक की स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–2, अप्रैल–जून, 2026, पृष्ठ 48–52। https://doi.org/10.5281/zenodo.21787965